प्रेषक,

जयन्त नार्लिकर,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
एस0जी0पी0जी0आई0,
लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 लखनऊः दिनांक 31 मार्च, 2018

विषयः- वित्तीय वर्ष 2017-18 में एस0जी0पी0जी0आई0 द्वारा संचालित अपेक्स ट्रामा सेन्टर हेतु पृथक रूप से विद्युत संयोजन की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-पी0जी0आई0/ए0टी0सी0/72/2018, दिनांक 02-1-2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा एस0जी0पी0जी0आई0 द्वारा संचालित अपेक्स ट्रामा सेन्टर हेतु पृथक रूप से विद्युत संयोजन की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2017-18 में एस0जी0पी0जी0आई0 द्वारा संचालित अपेक्स ट्रामा सेन्टर हेतु पृथक रूप से विद्युत संयोजन के लिए प्रमुख सचिव, ऊर्जा विभाग की अध्यक्षता में गठित अप्रेजल/मूल्यांकन समिति द्वारा संस्तुत लागत रू0 289.66 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त के रूप में रू0 1,43,33,000/- (रूपया एक करोड तियालीस लाख तैतीस हजार मात्र) की धनराशि अवमुक्त किये जाने की सहर्ष स्वीकृति राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैः-

1) प्रायोजाना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य कराया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी संस्थान के निदेशक की होगी।
2) माध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि0 द्वारा प्रस्तावित उपरोक्त कार्य पर समिति द्वारा 10 प्रतिशत सेन्टेज चार्ज लिये जाने को अनुमन्य किया गया। कन्टीजेंसी को मात्र 02 प्रतिशत तथा 1.5 प्रतिशत टी0 एण्ड पी, 1 प्रतिशत लेबर सेसे चार्जेज अनुमन्य किया गया।
3) कार्य की द्विरावृत्ति को रोकने की दृष्टि से संस्थान द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अंतर्गत न तो स्वीकृत है और न ही वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम से आच्छादित है।
4) आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्रावधानों को यथावत् मानते हुए किया गया है। यदि कार्यो की लम्बाई/चौडाई में परिवर्तन, स्वीकृत आगणन के स्कोप में परिवर्तन आदि आता है तो सिमति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा। अनुमोदित कार्यो की तकनीकी स्वीकृति निर्गत करने से पूर्व विस्तृत डिजाइन/ड्राइंग बनायी जाये। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था एवं निदेशक संस्थान का होगा।
5) प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।
6) स्वीकृत धनराशि को बैक/डाकघर/पी0एल0ए0 में नहीं रखा जायेगा। प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु की जा रही है, उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जायेगा।
7) संस्थान द्वारा प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति नहीं हो रही है। अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा।
8) प्रायोजना का निर्माण कार्य निर्धारित समयावधि में अवश्य पूर्ण कर लिया जाय। वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 03 अगस्त, 2017 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन किया जायेगा।
9) कार्यदायी संस्था द्वारा आगणन में अनुमोदित सीमा तक ही सैंटेक्स चार्ज लिया जायेगा। आगणन में वर्णित लेबर सेस की कुल धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

10) संस्थान द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्रापत करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

11) संस्थान द्वारा धनराशि को आहरित कर, मध्यांचलन विद्युत वितरण निगम लि0 को उपलब्ध करायी जायेगी।

12) प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही निर्माण कार्य कराया जायेगा।

13) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व संस्थान द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अंतर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

14) प्रश्नगत कार्य की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति से शासन को प्रत्येक माह अवगत कराते हुए यथासमय कार्यदायी संस्था/संस्थान के सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त करते हुए उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन/महालेखाकार को उपलब्ध कराया जायेगा।

3- धनराशि को कोषागार से वित्त अधिकारी, एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ द्वारा आहरित किया जायेगा एवं बिलों पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त किये जायेंगे।

4- इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक अनुमान अनुदान संख्या-31-चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण) के पूंजी लेखा लेखाशीर्षक ''4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-03-चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-16-संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ में ट्रामा सेन्टर-24-वृहत निर्माण कार्य'' के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-3/1090/दस-2018, दिनांक 31 मार्च, 2018 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(जयन्त नार्लिकर)
विशेष सचिव ।

संख्या- 79/2018/38(1)/71-2-18-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2) प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3) प्रमुख सचिव, ऊर्जा विभाग, उ0प्र0 शासन।
4) कोषाधिकारी, लखनऊ ।
5) वित्त अधिकारी, एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ।
6) निदेशक/प्रबन्ध निदेशक, मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि0, लखनऊ्य
7) वित्त ई-3/नियोजन अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2
8) महाप्रबन्धक/प्रबन्ध निदेशक/परियोजना प्रबन्धक, उ0प्र0रा0नि0नि0लि0, लखनऊ।
9) स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0।
10) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।